न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, बारां जिला बारां (राज.)

वाद/प्रार्थना-पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
/24	88,89,RTA &136 LR Act	इकलेरा	बारां

वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी
चन्द्रप्रकाश	बनाम	राज0 सरकार

वकील :- श्री धर्मेन्द्र सिंह चौधरी | **आदेश पत्रक** | वकील:-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
23.10.2024	अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89, आर. टी. एक्ट एवं 136 एल आर एक्ट विरूद्व प्रतिवादी के न्याया0 में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादी गण को जर्ये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 16/12/24 को पेश हो। [illegible]	
16-12-24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप0। TDR बारां से तथ्यात्मक रिपोर्ट ली जावे। TDR बारां को लिखा जाकर पत्रावली वास्ते तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 13-1-25 को पेश हो। [illegible]	
13-1-25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप0। TDR बारां से तथ्यात्मक रिपोर्ट अप्राप्त। TDR बारां को पुन: लिखा जाकर पत्रावली वास्ते तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 20-2-25 को पेश हो। [illegible]	
21-2-25	पीठासीन अधिकारी [illegible] में रहने से पूर्ववत दिनांक 23-4-25 को प्रस्तुत हो. [illegible] उपखण्ड अधिकारी बारां	
23-4-25	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उप0। TDR बारां से तथ्यात्मक रिपोर्ट अप्राप्त। TDR बारां को पुन: लिखा जाकर पत्रावली वास्ते तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 12-5-25 को पेश हो। [illegible]	
12-5-25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप0। TDR बारां से तथ्यात्मक रिपोर्ट अप्राप्त। TDR बारां को पुन: लिखा जाकर पत्रावली वास्ते जवाब रिपोर्ट दिनांक 2-6-25 को पेश हो। [illegible]	

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश
2-6-25	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी एवं पेशीकार मन्नालाल उप०। TDR बारां से तथ्यात्मक रिपोर्ट अप्राप्त। TDR बारां को फोन किया जाकर पत्रावली वास्ते TDR रिपोर्ट दिनांक 23-6-25 को पेश हो। [signature]
23-6-25	पीठासीन अधिकारी राजकार्य [illegible] में रहने से पूर्वक्त दिनांक 25-6-25 को प्रस्तुत हो। [signature] रीडर उप खण्ड अधिकारी बारां
25/6/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी एवं पेशकार मन्नालाल उप०। तहसीलदार बारां की पत्र दिनांक 11/06/2025 के तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जो संलग्न पत्रावली की। बहस वकील वादी एवं पेशकार मन्नालाल सुनी गई। वाद वादी स्वीकार किया जाकर [illegible] पृथक से लिखाया जाकर [illegible] किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नामल के कम हो। बाद तामील [illegible] के प्रविष्टि की [illegible] लगाया गया। [signature] उपखण्ड अधिकारी बाराँ

निर्णय व इजलास श्री बनवारी लाल बैरवा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :— 131/24
दायरा दिनांक :— 23.10.2024
निर्णय दिनांक :— 25/6/2025

उनवान

1. चन्द्रप्रकाश आयु 50 वर्ष पुत्र श्री जगदीश उर्फ मेघराज
2. सुरेन्द्र आयु वर्ष पुत्र श्री जगदीश उर्फ मेघराज
3. मुकेश आयु वर्ष पुत्र श्री जगदीश उर्फ मेघराज
4. भूली बाई आयु वर्ष पत्नी श्री जगदीश उर्फ मेघराज जाति ब्राहम्ण निवासीगण ग्राम इकलेरा तहसील बारां जिला बारां राज0

वादीगण—

बनाम

1. राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, बारां जिला बारां (राज0)

प्रतिवादी—

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट व
136 राज0 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट
निर्णय दिनांक :— 25/6/2025

अभिभाषक उपस्थित :— 1. श्री धर्मेन्द्र सिंह चौधरी एडवोकेट — वादीगण
2. पेरोकार सरकार — प्रतिवादी

अभिभाषक वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट व 136 राज0 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट राजस्व रिकार्ड नाम दुरूस्ती हेतु अप्रार्थी के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि वाके माल इकलेरा पटवार हल्का इकलेरा तहसील बारां जिला बारां में आराजी खाता संख्या नया 115 पुराना 100 में वर्णित खसरा नं0 1092 रकबा 0.16 हे0, किस्म बरानी 1 लगानी 1.76 रूपया कुल किता 1 कुल रकबा 0.16 हे0, स्थित है। जो राजस्व रिकार्ड में जमाबन्दी संख्या 2070 में बखाता जगदीश पुत्र श्री कन्हैयालाल हिस्सा पूर्ण जाति ब्राहम्ण सा0 देह खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जो वाद की विषयवस्तु है। वाद पत्र की मद नं0 1 में अंकित आराजी पुर्व में वादीगण दादी विधा बाई पत्नी कन्हैयालाल के नाम दर्ज थी तथा वादीगण की दादीजी विद्या बाई की मृत्यु उपरान्त इन्तकाल संख्या 844 दिनांक 05.07.2010 से वाद पत्र की मद नं0 में अंकित आराजी खाता संख्या नया 115 पुराना 100 में वर्णित खसरा नं0 1092 रकबा 0.16 हे0, वाके ग्राम इकलेरा तहसील बारां के राजस्व रिकार्ड में वादीगण पति/पिता का नाम जगदीश उर्फ मेघराज कन्हैया जाति ब्राहम्ण सा0 देह के स्थान पर जगदीश पुत्र कन्हैया लाल जाति ब्राहम्ण सा0 देह गलत दर्ज कर दिया है जबकि इन्तकाल संख्या 844 दिनांक 05.07.2010 से अन्य आराजी खसरा नं0 1091 रकबा 0.75 हे0 किस्म बरानी 1 लगानी 8.14 रूपया, खसरा नं0 1099 रकबा 0.43 हे0 किस्म बरानी लगानी 4.73 रूपया कुल 2 किता कुल रकबा 1.17 हे0 वाके ग्राम इकलेरा पटवार हल्का इकलेरा तहसील बारां के राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता/पति का नाम जगदीश उर्फ मेघराज पुत्र कन्हैया जाति ब्राहम्ण सा0 देह सही दर्ज किया

उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

गया है। दोनों राजस्व रिकार्ड की नकल वाद पत्र के साथ संलग्न है। वादीगण के खातेदार पिता/पति जगदीश उर्फ मेघराज पुत्र श्री कन्हैया लाल जाति ब्राहम्ण निवासी इकलेरा तहसील बारां जिला बारां का दिनांक 27.11.2022 को स्वर्गवास हो चुका है। तथा मृतक जगदीश उर्फ मेघराज के वादीगण ही वैध वारिसान व उत्तराधिकारीगण है। वाद पत्र की मद् नं0 1 में अंकित आराजी में वादीगण का हिस्सा 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 हिस्सा निहित है। वाद पत्र की मद नं0 1 अंकित आराजी के राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता/पति का नाम जगदीश उर्फ मेघराज पुत्र श्री कन्हैया लाल जाति ब्राहम्ण सा0 देह के स्थान जगदीश पुत्र श्री कन्हैया लाल जाति ब्राहम्ण सा0 देह गलत दर्ज कर दिया गया है जबकि वादीगण के पिता/पति का वास्तविक नाम जगदीश उर्फ मेघराज पुत्र श्री कन्हैया लाल जाति ब्राहम्ण निवासी इकलेरा है जो वादीगण के पिता/पति के अन्य राजस्व रिकार्ड व पहचान पत्र व आधार कार्ड में दर्ज है इसलिये न्यायहित वाद पत्र की मद् नं0 1 में वर्णित आराजी खाता संख्या नया 115 पुराना 100 में वर्णित खसरा नं0 1092 रकबा 0.16 हे0 किस्म बरानी 1 लगानी 1.76 रूपया कुल किता 1 कुल रकबा 0.16 हे0 वाके ग्राम इकलेरा तहसील बारां के राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता/पति का नाम दुरूस्त करवाकर जगदीश पुत्र श्री कन्हैया लाल जाति ब्राहम्ण सा0 देह के स्थान पर जगदीश उर्फ मेघराज पुत्र श्री कन्हैया लाल जाति ब्राहम्ण सा0 देह करा पाने व उक्त आराजी का वादीगण स्वयं को खातेदार घोषित करवाकर राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज करा पाने के वैधानिक अधिकारी एवं नालिशी है। वादीगण ने अपने पिता/पति की मृत्यु उपरान्त उक्त वर्णित आराजी का इन्तकाल खुलवाने हेतु आवेदन किया तो राजस्व कर्मचारियों द्वारा अन्य आराजी जमाबन्दी खाता संख्या नया 113 पुराना 354 वाके ग्राम इकलेरा का इन्तकाल 1584 से वादीगण के नाम दिनांक 11.01.2024 को खोला जाकर वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज कर दिया गया। किन्तु वाद पत्र की मद् नं0 1 में अंकित आराजी जमाबन्दी खाता संख्या नया 115 पुराना 100 वाके ग्राम इकलेरा का इन्तकाल खोलने से दिनांक 03.10.2024 को साफ मना कर दिया है। इसलिये वाद कारण दिनांक 03.10.2024 को पैदा हुआ और वर्तमान मे पैदा हुआ है। आराजियात ग्राम इकलेरा तहसील बारां में स्थित होने से न्यायालय श्रीमान उक्त कार्यवाही सुनने का क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार व प्राप्त है। प्रार्थना पत्र उचित न्यायशुल्क पर अवधि पेश है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादी इस आशय की डिक्री सादर फरमायी जावें। वाद पत्र की मद् नं0 1 में वर्णित आराजी खाता संख्या नया 115 पुराना 100 में वर्णित खसरा नं0 1092 रकबा 0.16 हे0 किस्म बरानी 1 लगानी 1.76 रूपया कुल किता 1 कुल रकबा 0.16 हे0 वाके ग्राम इकलेरा तहसील बारां के राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता/पति का नाम दुरूस्त किया जाकर जगदीश पुत्र श्री कन्हैया लाल जाति ब्राहम्ण सा0 देह के स्थान पर जगदीश उर्फ मेघराज पुत्र श्री कन्हैया लाल जाति ब्राहम्ण सा0 देह दर्ज किया जावें एवं वादीगण को उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नाम इन्द्राज किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

वादीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। वादीगण द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम इकलेरा सम्वत 2070–2070, खाता संख्या नया 113, पुराना 354, नकल जमाबन्दी ग्राम इकलेरा सम्वत 2070–2070, खाता संख्या नया 115, पुराना 100, नकल जमाबन्दी ग्राम इकलेरा प्रमाणित प्रति

उपखण्ड अधिकारी
बारां

म्वत 2066–2069, नकल जमाबन्दी ग्राम इकलेरा प्रमाणित प्रति सम्वत 2070–2073, नकल जमाबन्दी ग्राम इकलेरा प्रमाणित प्रति सम्वत 2070–2073, नकल नामान्तरण ग्राम इकलेरा जगदीश, मृत्यु प्रमाण पत्र, छाया प्रति लेटर फेड ग्राम पंचायत इकलेरा दिनांक 20.02.2024, छाया प्रति शोक सन्देश, आधार कार्ड, मेघराज, आधार कार्ड चन्द्रप्रकाश, मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 29.12.2022, पेश किया।

बहस अभिभाषक वादीगण सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादीगण द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील वादी का कथन है, कि विवादित आराजी वाके माल इकलेरा पटवार हल्का इकलेरा तहसील बारां जिला बारां में आराजी खाता संख्या नया 115 पुराना 100 में वर्णित खसरा नं0 1092 रकबा 0.16 हे0, कुल किता 1 कुल रकबा 0.16 हे0, स्थित है। जो राजस्व रिकार्ड में जमाबन्दी संख्या 2070 में बखाता जगदीश पुत्र श्री कन्हैयालाल हिस्सा पूर्ण जाति ब्राहम्ण सा0 देह खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वाद पत्र की मद् नं0 1 में अंकित आराजी पुर्व में वादीगण दादी विधा बाई पत्नी कन्हैयालाल के नाम दर्ज थी तथा वादीगण की दादीजी विद्या बाई की मृत्यु उपरान्त इन्तकाल संख्या 844 दिनांक 05.07.2010 से वाद पत्र की मद नं0 में अंकित आराजी खाता संख्या नया 115 पुराना 100 में वर्णित खसरा नं0 1092 रकबा 0.16 हे0, वाके ग्राम इकलेरा तहसील बारां के राजस्व रिकार्ड में वादीगण पति/पिता का नाम जगदीश उर्फ मेघराज कन्हैया जाति ब्राहम्ण सा0 देह के स्थान पर जगदीश पुत्र कन्हैया लाल जाति ब्राहम्ण सा0 देह गलत दर्ज कर दिया है जबकि इन्तकाल संख्या 844 दिनांक 05.07.2010 से अन्य आराजी खसरा नं0 1091 रकबा 0.75 हे0, खसरा नं0 1099 रकबा 0.43 हे0, कुल 2 किता कुल रकबा 1.17 हे0 वाके ग्राम इकलेरा पटवार हल्का इकलेरा तहसील बारां के राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता/पति का नाम जगदीश उर्फ मेघराज पुत्र कन्हैया जाति ब्राहम्ण सा0 देह सही दर्ज किया गया है। दोनों राजस्व रिकार्ड की नकल वाद पत्र के साथ संलग्न है। वादीगण के खातेदार पिता/पति जगदीश उर्फ मेघराज पुत्र श्री कन्हैया लाल जाति ब्राहम्ण निवासी इकलेरा तहसील बारां जिला बारां का दिनांक 27.11.2022 को स्वर्गवास हो चुका है। तथा मृतक जगदीश उर्फ मेघराज के वादीगण ही वैध वारिसान व उत्तराधिकारीगण है। वादीगण के पिता/पति का वास्तविक नाम जगदीश उर्फ मेघराज पुत्र श्री कन्हैया लाल जाति ब्राहम्ण निवासी इकलेरा है जो वादीगण के पिता/पति के अन्य राजस्व रिकार्ड व पहचान पत्र व आधार कार्ड में दर्ज है इसलिये न्यायहित वाद पत्र की मद् नं0 1 में वर्णित आराजी खाता संख्या नया 115 पुराना 100 में वर्णित खसरा नं0 1092 रकबा 0.16 हे0, कुल किता 1 कुल रकबा 0.16 हे0, वाके ग्राम इकलेरा तहसील बारां के राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता/पति का नाम दुरूस्त करवाकर जगदीश पुत्र श्री कन्हैया लाल जाति ब्राहम्ण सा0 देह के स्थान पर जगदीश उर्फ मेघराज पुत्र श्री कन्हैया लाल जाति ब्राहम्ण सा0 देह करा पाने व उक्त आराजी का वादीगण स्वयं को खातेदार घोषित करवाकर राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज करा पाने के वैधानिक अधिकारी एवं नालिशी है। अतः प्रार्थना पंत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादी इस आशय की डिक्री सादर फरमायी जावें। वाद पत्र की मद् नं0 1 में वर्णित आराजी खाता संख्या नया 115 पुराना 100 में वर्णित खसरा नं0 1092 रकबा 0.16 हे0, कुल किता 1 कुल रकबा 0.16 हे0 वाके ग्राम इकलेरा तहसील बारां के राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता/पति का नाम दुरूस्त किया जाकर जगदीश पुत्र श्री कन्हैया लाल जाति ब्राहम्ण सा0 देह के स्थान पर जगदीश उर्फ मेघराज पुत्र श्री कन्हैया

उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

...ल जाति ब्राहम्ण सा0 देह दर्ज किया जावें एवं वादीगण को उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नाम इन्द्राज किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

बहस अभिभाषक वादीगण सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। मुताबिक राजस्व रिकार्ड ग्राम इकलेरा में वर्तमान खाता संख्या 115 पुराना 100 खसरा नं0 1092 रकबा 0.16 हे0, कुल किता 1 कुल रकबा 0.16 हे0, खातेदार जगदीश पुत्र कन्हैयालाल जाति ब्राहम्ण राहिन विजया बैंक शाखा बारां दर्ज है। नामान्तरण संख्या 476 दिनांक 10.12.2001 द्वारा खाता संख्या 18 खसरा नं0 1092 किता 1 रकबा 0.16 हे0, में कन्हैयालाल पुत्र गेन्दीलाल कोम ब्राहम्ण का विरास्त का नामानतरण दर्ज हुआ जिससें जगदीश पुत्र कन्हैयालाल, अनोख, भगवती, कलावती, पुत्रीगण कन्हैयालाल व विद्या बाई बेवा कन्हैयालाल सा0 देह दर्ज हुआ। प्रार्थी द्वारा ग्राम इकलेरा की अन्य नकल का हवाला दिया गया जिसकी वर्तमान खाता संख्या 113 खसरा नं0 1092 किता 2 रकबा 1.17 हे0, में खातेदार चन्द्रप्रकाश पुत्र जगदीश उर्फ मेघवाल जाति ब्राहम्ण जरियें विरासत नामान्तण संख्या 1584 दिनांक 20.01.2024 दर्ज हुआ। नामान्तरण संख्या 844 दिनांक 05.07.2010 द्वारा विद्या बाई पत्नि कन्हैयालाल की मृत्यु होने पर जगदीश उर्फ मेघराज पुत्र कन्हैयालाल खसरा नं0 1091 किता 2 रकबा 1.17 हे0, खाता संख्या 100 दर्ज हुआ। ग्रामवासियों द्वारा पता करने पर पाया गया की जगदीश उर्फ मेघराज दोनों एक ही आदमी है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत विद्या बाई के फौती नामानतरण नं0 844 दिनांक 05.07.10 में आराजी खसरा नं0 1092 पर जगदीश पुत्र कन्हैयालाल के नाम से नामान्तरण दर्ज है एवं उसी नामान्तरण 844 में खसरा नं0 1091 व 1099 में जगदीश उर्फ मेघराज पुत्र कन्हैयालाल के नाम नामान्तरण दर्ज है साथ ही प्रस्तुत दस्जावेज कार्यालय ग्राम पंचायत इकलेरा के प्रमाण पत्र दिनांक 20.12.2024 जगदीश प्रसाद उर्फ मेघराज की मृत्यु पर वितरित शौक सन्देश व पटवार मण्डल–इकलेरा दिनांक 12.05.2025 को प्राप्त रिपोर्ट से जगदीश व मेघराज दोनो एक ही व्यक्ति होना स्पष्ट है। इस कारण आराजी खसरा नं0 नया 115 पुराना 100 से खसरा नं0 1092 वाके ग्राम इकलेरा तह0 बारां की जमाबन्दी में अंकित खातेदार वादीगण के पिता/पति का नाम जगदीश पुत्र श्री कन्हैया लाल जाति ब्राहम्ण सा0 देह के स्थान पर जगदीश उर्फ मेघराज पुत्र श्री कन्हैया लाल जाति ब्राहम्ण सा0 देह अंकित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: क्रियात्मक आदेश::

उपरोक्त विवेचानुसार वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम इकलेरा की आराजियात वर्तमान खाता संख्या नया 115, पुराना खाता संख्या 100, खसरा नं0 1092 रकबा 0.16 हे0 में ग्राम इकलेरा तहसील व जिला बारां की आराजियात में वादीगण के पिता/पति का नाम जगदीश पुत्र श्री कन्हैया लाल जाति ब्राहम्ण सा0 देह के स्थान पर जगदीश उर्फ मेघराज पुत्र श्री कन्हैया लाल जाति ब्राहम्ण सा0 देह खातेदार दर्ज करने के आदेश तहसीलदार बारां को दिये जाते है.। बैंक रहन पूर्वानुसार दर्ज रहेगा। तद्नुरूप डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(बनवारी लाल बैरवा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड़ अधिकारी बारां
उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 131/24	अन्तर्गत धारा 88,89, 136 आर0टी0एक्ट	निर्णय दिनांकः– 25/6/2025
समक्ष : श्री बनवारी लाल बैरवा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां		
उपस्थिति :अभिभाषकवादीः– श्री धर्मेन्द्र सिंह चौधरी एड0	अभिभाषक प्रतिवादीः– पैरोकार सरकार	

वाद शीर्षक

उनवान

1. चन्द्रप्रकाश आयु 50 वर्ष पुत्र श्री जगदीश उर्फ मेघराज
2. सुरेन्द्र आयु वर्ष पुत्र श्री जगदीश उर्फ मेघराज
3. मुकेश आयु वर्ष पुत्र श्री जगदीश उर्फ मेघराज
4. भूली बाई आयु वर्ष पत्नी श्री जगदीश उर्फ मेघराज जाति ब्राहम्ण निवासीगण ग्राम इकलेरा तहसील बारां जिला बारां राज0

वादीगण–

बनाम

1. राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, बारां जिला बारां (राज0)

प्रतिवादी–

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तद्नुरूप डिकी निर्गत की जाती है कि

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम इकलेरा की आराजियात वर्तमान खाता संख्या नया 115, पुराना खाता संख्या 100, खसरा नं0 1092 रकबा 0.16 हे0 में ग्राम इकलेरा तहसील व जिला बारां की आराजियात में वादीगण के पिता/पति का नाम जगदीश पुत्र श्री कन्हैया लाल जाति ब्राहम्ण सा0 देह के स्थान पर जगदीश उर्फ मेघराज पुत्र श्री कन्हैया लाल जाति ब्राहम्ण सा0 देह खातेदार दर्ज करने के आदेश तहसीलदार बारां को दिये जाते है। बैंक रहन पूर्वानुसार दर्ज रहेगा।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए। उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 25/6/25 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
बारां जिला बारां

उपखण्ड अधिकारी
बारां

व्ययानुतोष			
क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वदपत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषकपत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थनापत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिकअभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीसकमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		